संख्या-54/2017/1651/22-2-2016-17(216)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हाशिम अली पुत्र श्री मुमताज अली, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हाशिम अली पुत्र श्री मुमताज अली, निवासी-दहिला मऊ, थाना-कोतवाली सदर, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। मुकदमेंबाजी व जमीन जायदाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 13.11.1988 की रात्रि लगभग 10:30 बजे कट्टों से गोली मारकर अपने पिता, सौतेली मां एवं भाई की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-47/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 07-07-1990 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2016 तक 20 वर्ष 09 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 02 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टों से गोली मारकर अपने पिता, सौतेली मां एवं भाई की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी को 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डित किये जाने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हासिम अली पुत्र श्री मुमताज अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हासिम अली (बन्दी संख्या-3966/2006) पुत्र श्री मुमताज अली, निवासी जनपद-प्रतापगढ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-54/2017/1651(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-54/2017/1651/22-2-2016-17(216)/2011

दिनांक 19 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हाशिम अली पुत्र श्री मुमताज अली, निवासी-दहिला मऊ, थाना-कोतवाली सदर, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। मुकदमेंबाजी व जमीन जायदाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 13.11.1988 की रात्रि लगभग 10:30 बजे कट्टों से गोली मारकर अपने पिता, सौतेली मां एवं भाई की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-47/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 07-07-1990 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2016 तक 20 वर्ष 09 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 02 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टों से गोली मारकर अपने पिता, सौतेली मां एवं भाई की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतः बन्दी को 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डित किये जाने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हासिम अली पुत्र श्री मुमताज अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।